

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 250/2016

बउनवान

हेमराज पुत्र श्री मथुरालाल जाति-गूजर, निवासी-रूपपुरा  
तहसील-अन्ता, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार,अन्ता

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 09.04.2018



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपीलांट ने जय्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-रूपपुरा, तहसील-अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर मकान बनाकर, अतिक्रमण करने पर 256/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है, जिसने ग्राम पंचायत द्वारा बताए स्थान पर इन्द्रा आवास में छोटा का मकान बनाया है। उसका कोई आपराधिक आशय कब्जे का नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं देकर एकतरफा आदेश पारित किया है। पत्रावली में कब्जे बाबत साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं है, निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जय्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट ने ग्राम पंचायत द्वारा बताये गये स्थान पर इन्द्रा आवास के

जिला कलक्टर

बारां (राज०)

तहत मकान बनाया है। अपीलांट अत्यन्त गरीब व मजदूर व्यक्ति है जिसके अन्य कोई रिहायशी मकान नहीं है। यदि उसे मकान से बेदखल कर दिया गया तो परिवार के सभी व्यक्ति बेघर हो जायेगे। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.2.2016 निरस्त किया जाकर, नियमन की कार्यवाही की जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने मकान बनाकर अतिक्रमण किया है, विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है, जिसे पूर्व में अतिचार करने पर बेदखल किया जा चुका है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार, अन्ता से विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का मकान बना हुआ है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जो आबादी विस्तार के लिये आरक्षित नहीं होकर, सार्वजनिक हित व गौचर/वन्य जीव के लिये आरक्षित है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर नियम विरुद्ध मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिचार करने पर पूर्व में बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।


परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 338/15 में पारित आदेश दिनांक 15.2.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
बारां (सब०)